न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 68/2022 **GCMS 2022/132**

वादी

1. गोरधन पुत्र द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बद्री पुत्र जगन्नथ
2. टीकु उर्फ भीकू पुत्र जगन्नाथ
3. लिछमी नारायण पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण निवासीगण मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर (लैण्ड होल्डर)

दावा अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T.Act1955

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 17.10.2022

वादी ग्राम मण्डावरा के गत खसरा नम्बर 103 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, गत खसरा संख्या 257 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा वादी के दादा गणेशराम पुत्र जवानीराम की सहखातेदारी का अवस्थित रहा। द्वितीय भू प्रबन्ध के दौरान ग्राम मण्डावरा के गत खसरा संख्या 103 के नवीन खसरा संख्या 161 रकबा 1.06 हैक्टयर, गत खसरा संख्या 257 के नवीन खसरा संख्या 545 रकबा 0.31 हैक्टयर व खसरा संख्या 562 रकबा 1.90 हैक्टयर कायम हुये। इस वाद की विषयवस्तु ग्राम मण्डावरा के गत खसरा संख्या 103 वर्तमान खसरा संख्या 161 रकबा 1.06 हैक्टयर है जिसे इस वाद में आगे वादग्रस्त आराजीयात से सम्बोधित किया जायेगा। वादी एंव प्रतिवादीगण का सजरा खानदान निम्नवत् है

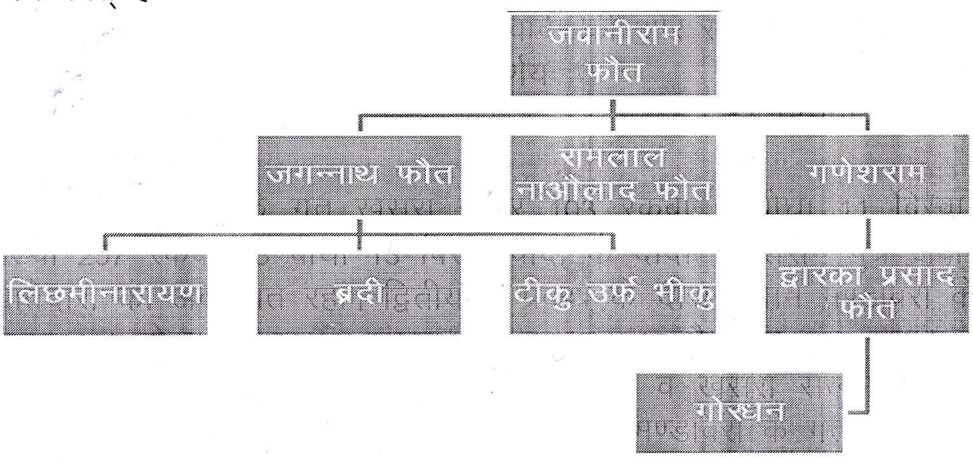

वादग्रस्त खसरा संख्या 103 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा सम्पूर्ण पर कब्जा काश्त वादी के दादा गणेशराम पुत्र जवानीराम की रही बतौर सबूत गिरदावरी सम्वत् 2010 से 19 व

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

2032 से 34 वाद के साथ पेश किया गा है, गत खसरा संख्या 257 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा पर कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की रही। राजस्व विभाग के कर्मचारीयों ने खसरा संख्या 257 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा में से वादी के दादा गणेशराम पुत्र जवानीराम का नाम खातेदारी से खतौनी सम्वत् 2019 से 22 में हटा दिया उसी वक्त प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम खसरा संख्या 103 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी खतौनी में से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम हटाना था परन्तु सहवन से राजस्व कर्मचारीयों द्वारा खसरा संख्या 103 की खातेदारी में से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम नही हटाया गया, चूंकि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 कब्जा काश्त खसरा संख्या 257 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा सम्पूर्ण पर था तथा वादी के दादा की कब्जा काश्त खसरा नम्बर 103 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा सम्पूर्ण पर थी इसलिए खसरा नम्बर 103 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम 1/4 हिस्सा हटना था परन्तु सहवन से रह गया। वादी वादग्रस्त खसरा संख्या 161 रकबा 1.06 हैक्टयर में से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम समस्त रेकर्डस ऑफ राईटस से हटवाने का अधिकारी है। राजस्व अधिकारीयों द्वारा सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम खसरा नम्बर 161 में 1/4 हिस्से में रह जाने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादी के अधिकारों को मान्यता नही दे रहे है एंव राजस्व रेकर्ड में से सहवन से हुई गलती के आधार पर प्रतिवादीगण वादग्रस्त अराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है यदि इसमें प्रतिवादीगण सफल हो गये तो वादी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना असम्भव होगा। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त अराजीयात में राजस्व रेकर्ड में सहवन से नाम रह जाने के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 वादी को वादग्रस्त अराजीयात से बेदखल करने की धमकीयां दे रहे है इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाना लाजमी हो गया है। बिनाय दावा दिनांक 20–01–2022 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादग्रस्त अराजीयात से राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन के आधार पर बेदखल करने की धमकी देने, वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 31–1–2022 को प्रापत होने पर बमुकाम मण्डावरा पैदा हुआ। वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम मण्डावरा के खसरा संख्या 161 रकबा 1.06 हैक्टयर सम्पूर्ण का वादी खातेदार काश्तकार है एंव तमाम रेकर्डस ऑफ राईटस से प्रतिवादी संख्या 1 से

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

3 का नाम हटाया जावे। डिक्री के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद फरमाया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादी को उसके हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में लेने से किसी प्रकार की रोक टोक नही करे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण 1 से 3 की तलबी जारी की गई, प्रतिवादीगण के बाहर रहने के कारण वकील वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 5 नियम 20 व 151 सीपीसी का प्रस्तुत करने पर बाद सुनवाई स्वीकार कर जरिये अखबार स्याहा प्रतिवादी 1 से 3 की तलबी की गई, बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीग सं. 4 की तलबी साधारण तरीके से की जाने पर बाद तामिल अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से मिलान क्षेत्रफल की नकल, मिसल बंदोबस्त नकल सम्वत 2008–2027, जमाबंदी नकल सम्वत 2011–2014, 2015–2018, 2019–2022, 2023–2026, 2027–2030, 2031–2034, 2038–2041, गिरदावरी नकल सम्वत 2010–2013, 2017–2020, 2031–2034, चालू जमाबंदी नकल प्रस्तुत की। मौखिक साक्ष्य में वादी का शपथ–पत्र प्रस्तुत हुआ।

वकील वादी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई। वादी वकील ने बहस दौरान वाद में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 161 रकबा 1.06 हैक्टर में सहखातेदारी में दर्ज प्रतिवादीगण 1 से 3 का नाम हटाये जाने का कथन किया, चूँकि उपरोक्त भूमि उसके दादा एवं पिता के कब्जे काश्त की रही है तथा प्रतिवादीगण उसके पिता के भाई है जिनका नाम सहवन से जमाबंदी में अंकित हुआ है, जिसे हटाया जावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। मिलान क्षेत्रफल अनुसार ग्राम मण्डावरा के गत खसरा नम्बर 103 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 161 रकबा 1.06 हैक्टर अंकित हुये, नकल मिसल बंदोबस्त सम्वत 2008से 2027 ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 257 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा में गणेशराम वल्द जवानीराम 1/2 लिछमीनारायण बदरी भीकु पि. जगनाथ हि. 1/2 कौम ब्राहम्ण सा. देह डोलीदार, खुदकाश्त, खसरा नम्बर 103 रकबा 6 बीघा 11

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (ना.)

बिस्वा में गणेशराम वल्द जवानीराम 3/4 लिछमीनारायण बदरी भीकु पि. जगनाथ हि. 1/4 कौम ब्राहम्ण सा. देह डोलीदार, खुदकाश्त, नकल खतौनी सम्वत 2011–2014 में उपरोक्तानुसार प्रविष्टि दर्ज है, सम्वत 2015–2018 एवं में ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 257 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा में गणेशराम वल्द जवानीराम 1/2 लिछमीनारायण बदरी भीकु पि. जगनाथ हि. 1/2 कौम ब्राहम्ण सा. देह डोलीदार, खुदकाश्त, खसरा नम्बर 103 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा में गणेशराम वल्द जवानीराम 3/4 लिछमीनारायण बदरी भीकु पि. जगनाथ हि. 1/4 कौम ब्राहम्ण सा. देह डोलीदार, खुदकाश्त, सम्वत 2019–2022 ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 257 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा में लिछमीनारायण पुत्र जगनाथ हि. कौम ब्राहम्ण सा. देह देह खातेदार, खसरा नम्बर 103 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा में गणेशीराम वल्द जवानीराम 3/4 लिछमीनारायण बदरी भीवा पि. जगनाथ हि. 1/4 कौम ब्राहम्ण सा. देह डोलीदार, सम्वत 2023–2026, 2027–2030, 2031–2034, 2038–2041 में ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 257 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा में लिछमीनारायण पुत्र जगनाथ हि. कौम ब्राहम्ण सा. देह देह खातेदार, खसरा नम्बर 103 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा में गणेशीराम वल्द जवानीराम 3/4 लिछमीनारायण बदरी भीवा पि. जगनाथ हि. 1/4 कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार, 2031–2034, 2038–2041 में ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 257 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा में लिछमीनारायण पुत्र जगनाथ हि. कौम ब्राहम्ण सा. देह देह खातेदार, खसरा नम्बर 103 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा में गोरधन पुत्र द्वारका प्रसाद 3/4 लिछमीनारायण बदरी टीकु पि. जगनाथ हि. 1/4 कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार, सम्वत 2038–2041 ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 257 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा में लिछमीनारायण पुत्र जगनाथ हि. कौम ब्राहम्ण सा. देह देह खातेदार, खसरा नम्बर 103 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा में गोरधन पुत्र द्वारका प्रसाद 3/4 लिछमीनारायण बदरी टीकु पि. जगनाथ हि. 1/4 कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार, सम्वत 2073–2076 ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 161 रकबा 1.06 हैक्टर में गोरधन पुत्र द्वारका प्रसाद 3/4 टीकू पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/12 बदरी पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/12, लिछमीनारायण पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/12 कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार दर्ज है। जबकि गिरदावरी नकलो अनुसार गत खसरा नम्बर 103 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

6 बीघा 11 बिस्वा पर गणेशराम की काश्त रही है तत्पश्चात गोरधन पुत्र द्वारकाप्रसाद का कब्जा काश्त रहा है जो गिरदावारी नकल में प्रविष्टि से साबित है, वादी द्वा प्रस्तुत शपथ–पत्र अनुसार भी वादी का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 161 में कब्जा काश्त साबित होता है, उपलब्ध रेकार्ड के विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम मण्डावरा के गत खसरा नम्बर 103 वर्तमान खसरा नम्बर 106 में जवानीराम के पुत्रान जगन्नाथ एवं गणेशराम की संयुक्त खातेदारी दर्ज रही है परन्तु मौके पर गणेशराम एवं उसके वारिसान का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 103 एवत जगन्नाथ एवं उसके वारिसान का कब्जा काश्त गत खसरा नम्बर 257 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा पर रहा है जिसकी पुष्टि उपलब्ध गिरदावरी नकले एवं उसमें गणेशराम एवं गोरधन का कब्जा काश्त की प्रविष्टि अंकित होने से होती है। अतः वाद वादी काबिल डिक्री योग्य होने से निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है ग्राम मण्डावरा पटवार मण्डल मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 161 रकबा 1.06 हैक्टर में वादी गोरधन पुत्र द्वारकाप्रसाद जाति ब्राहम्ण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 (टीकू बदरी लिछमीनारयण) का नाम खातेदारी से हटाया जाता है, तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे, तहसीलदार कुचामनसिटी को पालना हेतु तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 17/10/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या 68/2022 **GCMS 2022/132**

वादी
1. गोरधन पुत्र द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण
1. बद्री पुत्र जगन्नथ
2. टीकु उर्फ भीकू पुत्र जगन्नाथ
3. लिछमी नारायण पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण निवासीगण मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर (लैण्ड होल्डर)

दावा अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T.Act1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है ग्राम मण्डावरा पटवार मण्डल मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 161 रकबा 1.06 हैक्टर में वादी गोरधन पुत्र द्वारकाप्रसाद जाति ब्राहम्ण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 (टीकू बदरी लिछमीनारयण) का नाम खातेदारी से हटाया जाता है, तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे, तहसीलदार कुचामनसिटी को पालना हेतु तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 10 सन् 2022 ...... को जारी की गई।

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
आहदा कुचामन सिटी (नागौर) (मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालातनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।